

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 547]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 3 अक्टूबर 2022—आश्विन 11, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2022

क्र. 14929-241--इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 29 सितम्बर 2022 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १९ सन् २०२२

## मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम, २०२२

[ दिनांक 29 सितम्बर, २०२२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 3 अक्टूबर, २०२२ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२२ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

द्वितीय अनुसूची का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २२ सन् १९७३)की द्वितीय अनुसूची में,—

(एक) भाग एक में, अनुक्रमांक ६ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुक्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	मुख्यालय	क्षेत्रीय अधिकारिता (राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र)
(१)	(२)	(३)	(४)
"६.	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	भोपाल	भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद, राजगढ़, हरदा और बैतूल."

(दो) भाग दो में, अनुक्रमांक २ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुक्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	मुख्यालय	क्षेत्रीय अधिकारिता (राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र)
(१)	(२)	(३)	(४)
"२.	राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट".

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2022

क्र. 241-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 (क्रमांक 19 सन् 2022) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT  
No. 19 OF 2022

THE MADHYA PRADESH VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2022

[Received the assent of the Governor on the 29th September, 2022; assent first published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 3rd October, 2022.]

**An Act Further to amend the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-third year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2022. Short title and commencement.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. In the Second Schedule to the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973),— Amendment of Second Schedule.

(i) in Part I, for serial number 6 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

S. No.	Name of university	Headquarters	Territorial jurisdiction (area comprised within the limits of revenue district)
(1)	(2)	(3)	(4)
"6.	Barkatullah Vishwavidyalaya, Bhopal	Bhopal	Bhopal, Sehore, Raisen, Vidisha, Hoshangabad, Rajgarh, Harda and Betul.";

(ii) in Part II, for serial numbers 2 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

S. No.	Name of university	Headquarters	Territorial jurisdiction (area comprised within the limits of revenue district)
(1)	(2)	(3)	(4)
"2.	Raja Shankar Shah University, Chhindwara.	Chhindwara.	Chhindwara, Seoni and Balaghat ".